


नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/12/21	<p>पजावली आज्ञा पञ्जासन गांवो के संग अग्निमान केम्प कोर्ट कालांडेश के पंजा ईई अपाधीगण सूचना तलवी के कावजूद के अनुपस्थित है। जाधी के अधिवक्ता को सुना गया पजावली का अवलोकन किया गया जाधीगण सिद्धांत भूमि के रिपोर्ट स्वतंत्र कार्रकार है।</p> <p>निचमानुसार प्रत्येक स्वतंत्र को अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु किसी अन्व को पावर लाने का अधिकार प्राप्त है जाधीगण रिपोर्ट स्वतंत्र कार्रकार होने से सम्पूर्ण हित निहित है इस प्रकार प्रथम दृष्टया केसा सुविधा को सन्तुलन अर्थात् सीधे क्षति का सिद्धान्त जाधीगण के पक्ष में रखी जायित होता है। अतः जाधीगण को जा. पं. रघाची निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों के बीच को इस अन्व के आदेश दिनांक 7/1/20 को को केसला वाद रघाची किया जाकर किया जाता है पजावली केसला अन्व को अर्ध नम्बर से कर है। तथा दायित्व दत्त है।</p> <p style="text-align: right;">  10/12/21 </p>